18/7/22 पत्रावली पेश हुई। बहुलाम उप। बहस प्रार्थना पत्र 151 CPC पर श्रवण की गयी पत्रावली वाहे आदेश हेतु दिनांक 19/7/22 को रखी। [illegible]

19/7/22 पत्रावली पेश हुई। बहुलाम उप। बहस के प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. धारा 151 CPC स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि भूमि खसरा 95 में राजकीय रास्ता अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। हाजा न्यायालय के द्वारा खसरा नं. 95 की उत्तरी सीमा के सहारे-2 राजकीय रास्ता अंकित किया गया लेकिन उक्त खसरा नं. पर हाजा न्यायालय का स्थगन आदेश 16-6-2017 प्रभावी होने के कारण खसरा नं. 95 में 25/6 के अन्तर्गत रास्ता का राजस्व रिकार्ड अमलदरामद नहीं हो सका। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील खसरा नं. 95 को स्थगन से मुक्त करवाकर राजकीय रास्ता अंकित करवाने हेतु सहमत है अतः प्रार्थी व अप्रार्थी वकील के निवेदन पर ग्राम चोलाखेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के भूमि खसरा नं. 95 की उत्तरी सीमा के सहारे-2 0.01 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता अंकित करते हुए नक्शा इस में भी अंकित करते हुए हद तय दिनांक 16/6/2017 के स्थगन आदेश को निष्प्रभावी किया जाता है। पत्रावली केवल मुकाम हो [illegible] के होने पर पेश किया जावे। आदेश हो। [illegible]

19/7/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 10:35:26 IST
Reason: SelfAttested